अनुमंडल कार्यालय सदर, भागलपुर

(सामान्य शाखा)

आम सूचना

सर्व साधारण को जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि सदर, भागलपुर अनुमंडल अन्तर्गत निम्नांकित सैरातों की वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बंदोबस्ती हेतु आम डाक निम्न अंकित स्थानों पर दिनांक 26.03.2020(गुरुवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक 28.03.2020(शनिवार) को डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो दिनांक 30.03.2020(सोमवार) को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर डाक की जाएगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो किसी भी कार्यदिवस में डाक की जायेगी।

क्रमांक	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा	सुरक्षित जमा राशि का 10%	अंचल का नाम	डाक का स्थान
1.	ममलखा हाट	69000	6900	सबौर	अनुमंडल कार्यालय, सदर भागलपुर का सभागार
2.	मुरहन हाट	51710	5171	गोराडीह	
3.	काशील हाट	67735	6774	गोराडीह	
4.	अबजुगंज राजस्व हाट	89270	8927	सुलतानगंज	
5.	डोहराडीह हाट	52472	5248	शाहकुंड	

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्तो का पालन करना होगाः–

1) डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रुप में जिला नजारत शाखा, भागलपुर में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाक वक्ता को उसके द्वारा जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी।

2) डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र–प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

3) उच्चतम डाक वक्ता के साथ बंदोबस्ती की जायेगी। यदि सक्षम सहयोग समिति, नाव घाट का बंदोबस्ती लेने के लिए तैयार होगा तो उस घाट की बंदोबस्ती जिला सहकारिता पदाधिकारी या सक्षम सहयोग समिति की अनुशंसा के आलोक में सुरक्षित जमा राशि पर बंदोबस्ती की जायेगी।

4) उच्चतम डाक वक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं डाक की राशि का 2 प्रतिशत निबंधन शुल्क तथा 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।

5) उच्चतक डाक वक्ता को बन्दोबस्ती के पश्चात एकरारनामा का निबंधन कराना होगा, अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।

6) अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोबस्ती रद्द या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा से किसी भी कार्य दिवास में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर एवं Website : www.bhagalpur.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

Sd/-

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, भागलपुर।

ज्ञापांक 886   दिनांक 14/03/2020

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड प्रमुख, सदर अनुमंडल, भागलपुर को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार–प्रसार हेतु एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। संबंधित अंचल अधिकारी, बस पड़ाव, डाक बाजार एवं मेला के जगहों पर डुगडुगी पिटवाकर प्रचार–प्रसार करेंगे, साथ ही प्रखंड त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को तत्संबंधी नोटिस देगें।

Email ID: sdosadar-bgp-bih@nic.in

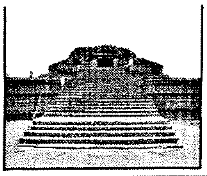

अनुमंडल कार्यालय सदर, भागलपुर

(सामान्य शाखा)

बिहार सरकार

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडलीय नजारत शाखा, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि डाक में भाग लेने वाले डाकवक्ता से जमानत की राशि अनुमंडल नाजीर के साथ उपस्थित रहकर जमा लेंगे एवं नाजिर रसीद निर्गत करेंगे।

प्रतिलिपिः— जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, भागलपुर को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जन सम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर दो दैनिक समाचार पत्रों में सैरातों की बंदोबस्ती संबंधी आम सूचना अविलंब प्रकाशित कराने की कृपा की जाय तथा पेपर कतरन अनुमंडल नजारत शाखा, भागलपुर को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, भागलपुर को अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि नीलामी सूचना की प्रति को वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः— समाहर्त्ता, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/20

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, भागलपुर।

Email ID: sdosadar-bgp-bih@nic.in